न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **62/2021 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री भंवरलाल खटीक पुत्र चुन्नीलाल खटीक निवासी सांगानेर कॉलोनी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा
––अपीलार्थी		**––प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक :04-10.2021

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 02.09.2021 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल आर्डर सं. 52 एफ 390760 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 09.07.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन), भीलवाड़ा को प्रेषित किया। आवेदन से वांछित सूचना तहसील कार्यालय कोटड़ी से संबंधित होने से उक्त आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन), भीलवाड़ा द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी को स्थानांतरित किया गया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 08.09.2021 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक 1565 दिनांक 21.09.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं :–

1. अपीलार्थी के आवेदन पत्र से चाही गयी सूचना कार्यालय तहसीलदार कोटड़ी के पत्रांक 1813 दिनांक 25.08.2021 से उपलब्ध करा दी गयी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध करा दिये जाने से अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 04-10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा